

**भारत गणराज्य  
REPUBLIC OF INDIA**

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,  
उन सभी से तिनका इससे संबंध है, उत्तरोष एवं अपेक्षा की  
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप  
से आने-जाने दें और जैसे हर तरह की सेवी सहायता और सुरक्षा  
प्रदान करें जिसकी उसे अवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME  
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE  
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS  
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM  
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE  
OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से  
BY ORDER OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

*Neebu M. Bhagotia*  
(नीबू म. भगोतिया)  
भारतीय  
पासपोर्ट अधिकारी  
पासपोर्ट ऑफिसर  
पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर  
Passport Office, Jaipur

**भारत गणराज्य  
REPUBLIC OF INDIA**



मात्यमेव जयते

**पासपोर्ट  
PASSPORT**

३६ पृष्ठा में ३६ पृष्ठ है। This Passport contains 36 pages.












वीज / VISA

12



वीज / VISA

13





















८

वीजा / VISA



V5468267

पिता / कानूनी अधिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

**PREM KUMAR**

माता का नाम / Name of Mother

**PUSHPA DEVI**

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

**VIJAY KUMAR VERMA**

पता / Address

**H.NO.335, ST NO.4**

**SHIV NAGAR 3 E CHHOTI, SRI GANGANAGAR**

**PIN:335001, RAJASTHAN, INDIA**

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाईल नं / File No.

**JP3065954234021**

प्रतीकरण  
विदेशों में हने वाले भारतीय नागिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित  
भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पत्रकरण करवाएँ।

चेतावनी  
यह पासपोर्ट भारत सरकार की समाप्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट  
प्राप्तिकारी से इसके धारक को यदि कोई सुनाना निवारी है जिसमें पासपोर्ट होटाने की  
पांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट भारत द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए यह पासपोर्ट धारक का  
जख्ले द्वारा प्राप्तिकार यात्रित के कल्पे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का  
फैलबल या विस्तृत नहीं की जानी चाहिए।  
पासपोर्ट युवा हो जाने, चाहे हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सुरक्षा भारत में  
नियमित युवा हो जाने, चाहे हो जाने अथवा यदि पासपोर्ट धारक द्विदेश में है तो  
विस्तृत पुछालाक के बाद ही डुल्किनेट पासपोर्ट यारी किया जाएगा।

#### प्रतीकरण / OBSERVATION

#### मुख्यालय / मुख्यालय / IMPORTANT INFORMATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT  
THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

#### CAUTION

महत्वपूर्ण  
THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY  
COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY  
REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD  
BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS  
SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED  
BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.  
LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY  
REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS  
ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE.  
ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.